भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 998

उत्तर देने की तारीख 2 दिसंबर, 2024

सोमवार, 11 अग्रहायण 1946 (शक)

कौशल विकास केंद्र

998. श्री राजीव राय:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रशिक्षण देने, व्यक्तियों को उनकी आजीविका के लिए स्व-उन्मुख बनाने और उनकी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए विभिन्न राज्यों में और अधिक कौशल विकास केन्द्रों (एसडीसी) की स्थापना करने की आवश्यकता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि स्वीकृत/खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के मऊ और बलिया जिलों में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में विशेषकर महिलाओं को कौशल विकास प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के द्वारा कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर की महिलाओं और समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

इन स्कीमों के अंतर्गत, देश भर में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र (टीसी) स्थापित किए जाते हैं।

पीएमकेवीवाई और जेएसएस स्कीम के अंतर्गत निधि निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती हैं। एनएपीएस के तहत, प्रतिष्ठानों को वृत्तिका सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। इन स्कीमों के तहत जारी की गई निधि का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

स्कीम	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
पीएमकेवीवाई	696.05	291.78	710.88
जेएसएस	137.63	154.65	154.38
एनएपीएस	241.60	335.67	632.82

सीटीएस स्कीम के अंतर्गत आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के मऊ और बलिया जिलों में एमएसडीई स्कीमों में प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) की संख्या इस प्रकार है:

स्कीम	टीसी की संख्या	
	मऊ	**बलिया**
पीएमकेवीवाई	72	89
जेएसएस	1	1
एनएपीएस*	97	74
सीटीएस (आईटीआई)	87	86

* एनएपीएस का डेटा शिक्षुओं को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या है।

(ङ) उपर्युक्त विभिन्न स्कीमों के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण समाज के सभी वर्गों को प्रदान किया जाता है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 स्कीम के तहत, कौशल केंद्र और विशेष परियोजनाएं महिलाओं के नामांकन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करती हैं, जिससे महिलाओं के लिए सुलभता सुनिश्चित होती है और भोजन, आवास और यात्रा भत्ते जैसे सहायक उपाय प्रदान किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, हेल्थकेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, हस्तशिल्प और परिधान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं की अधिक भागीदारी को आकर्षित करने के लिए संरचित किए गए हैं। इसके अलावा, परियोजनाओं को स्थानीय कौशल मांगों के साथ संरेखित करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास योजना से भाग लेने और लाभ उठाने के अवसर मिल सकें। इसके अलावा, महिलाओं के लिए 324 आईटीआई और 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान हैं। जेएसएस स्कीम के अंतर्गत आयु में छूट देकर महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और जुलाई 2018 से, इस स्कीम के तहत महिला लाभार्थियों का कवरेज कुल लाभार्थियों का लगभग 82% रहा है।

*****